

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दांडिक अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र

दांडिक अपील सं.. 1014 of 2019
(एस एल पी (दांडिक) सं. 9396 of 2018 से उत्पन्न)

सीता राम

अपीलार्थी(गण)

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

भानुमति, न्यायाधीश:

अनुमति प्रदान की जाती है ।

(2) यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के क्रिमिनल अपील सं. 333/2002 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.02.2018 से उत्पन्न है एवं जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 323 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी सीता राम (A-2) को दोषसिद्ध कर दिया है एवं उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी गई ।

(3) संक्षेप में अभियोजन की तरफ से बताया गया है कि 2 जुलाई, 1990 को रात के 10:00 बजे, मृतक मंगल सिंह की पत्नी घायल कलावती (PW-19) अपने पति के साथ कर्दम पुरी में चाय की दुकान बंद करने के बाद घर जा रही थी। जब वे गिरधारी लाल (A-1) की दुकान के पास पहुँचे, तो अपीलार्थी सीता राम (A-2), राम पाल (A-3) एवं राम फल (A-3) वहीं उपस्थित थे। मृतक मंगल सिंह ने गिरधारी लाल (A-1) से कहा कि उसके घर से जुड़े बिजली के खंभे से बिजली मत चोरी करो। गिरधारी लाल (A-1) गुस्से में आ गया एवं मृतक मंगल सिंह के कहने का विरोध करने लगा एवं सभी अभियुक्तगण मृतक मंगल सिंह से गाली गलौच करने लगे। राम पाल (A-3) ने मृतक मंगल सिंह के सिर में घूँसा मारा एवं सीता राम (A-2) एवं राम फल (A-4) ने डंडे एवं हॉकी

स्टिक इत्यादि से मृतक मंगल सिंह को मारा | मृतक की पत्नी कलावती (PW-19) ने बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसके हाथ में चोट आई| शोर सुनकर बृजमोहन (A-5) भी वहां पर आ गया | जब राजकुमार (PW-9), लीलावती (PW-4) एवं जय सिंह (PW-14) उसे बचाने आये तो अन्य अभियुक्तगण ने जय सिंह (PW-14) एवं राजकुमार (PW-9) एवं लीलावती (PW-4) को घायल किया | बृजमोहन (A-5), सुभाष (A-9) एवं राजेंदर (A-6) ने राजकुमार (PW-9) पर हमला किया और उसको भी चोटें आई| घायलों को अस्पताल ले जाया गया| मंगल सिंह घायल होने के कारण मर गया| राजकुमार (PW-9) द्वारा दर्ज शिकायत पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,307 एवं 323 के अंतर्गत एफ.आई. आर दर्ज की जो बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में परिवर्तित हो गयीं| डॉ. एम.पी. सारंगी (PW-6) ने मृतक मंगल सिंह के शव का पोस्ट मोर्टेम किया| उसने सिर के ऊपर 3 cm x 0.5 cm आकार का एक खुला हुआ घाव देखा; सिर के राईट पैरीटो टेम्पोरल रीजन में 2 cm x 3 cm आकार का खुला हुआ घाव; दाहिने कान के उपरी भाग के ऊपर 1 cm x 5 cm का खुला हुआ घाव इत्यादि| उसने कहा कि चोट सं. 1 से 3 सामान्यतः मृत्यु होने के लिए घातक एवं पर्याप्त थे | जांच पूरी होने पर, A-1 से A-4 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 323 एवं 302 की सहपठित धारा 34 के अंतर्गत चार्जशीट फाइल की गयी थी |

(4) अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने हेतु, अभियोजन ने मृतक की पत्नी कलावती (PW-19) एवं मृतक का बेटा राजकुमार (PW-9), लीलावती (PW-4), जय सिंह (PW-14), विजय कुमार (PW-13) एवं अन्य चश्मदीद गवाह का परीक्षण किया| मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत A-2 से A-4 को दोषसिद्ध बताया एवं उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी | बृजमोहन (A-5), राजेंदर (A-6) एवं सुभाष (A-9) को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 34 के

अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया एवं उनको छः महीने का कठोर कारावास की सज़ा दी गयी ।
राजेश (A-7) एवं मनफूल (A-8) को रिहा कर दिया । गिरधारी (A-1) विचारण के दौरान मर गया
था एवं उसके विरुद्ध लगे आरोप खारिज हो गये॥

(5) व्यथित होकर, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की । उच्च न्यायालय ने
आक्षेपित निर्णय दिनांक 15.02.2018 द्वारा सीता राम (A-2) द्वारा दर्ज अपील खारिज की इस
प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सज़ा दी। उच्च
न्यायालय के समक्ष अपील की लंबित होने के दौरान, राम पाल (A-3) एवं राम फल (A-4) मर
गए एवं उनके विरुद्ध लगे आरोप खारिज हो गए। बृजमोहन (A-5), राजेंदर (A-6) एवं सुभाष
(A-9) द्वारा की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की गई । उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड
संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि की पर उनकी सज़ा उनके
द्वारा कारावास में बिताई अवधि तक कम कर दी एवं रुपये 10,000/- तक जुर्माना बढ़ा दिया
था। अपनी अपील के खारिज होने से व्यथित होकर, अपीलार्थी सीता राम (A-2) ने यह अपील
की।

(6) हम अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती भारती त्यागी एवं प्रत्यर्थी-
राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज को सुन
चुके हैं एवं आक्षेपित निर्णय एवं रिकॉर्ड पर साक्ष्य/तथ्यों को ध्यान से पढ़ चुके हैं।

(7) घायल चश्मदीद गवाह कलावती (PW-19) एवं राजकुमार (PW-9) का साक्ष्य विविक्षित रूप से
लीलावती (PW-4) एवं जय सिंह (PW-14) के साक्ष्य की पुष्टि करते हैं। क्योंकि कलावती घायल
हुई थी, घायल गवाह होने के नाते, कलावती का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण माना जायेगा। सभी
गवाहों के साक्ष्य प्रभावशाली एवं दृढ़ हैं कि अभियुक्त सं. 1 से 4 तक ने मृतक मंगल सिंह पर

हाँकी स्टिक एवं डंडे से हमला किया गया। अभियुक्त गिरधारी (A-1), रामपाल (A-3) एवं रामफल (A-4) मर गए हैं।

(8) अपीलार्थी सीता राम (A-2) की ओर से प्रस्तुत विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती भारती त्यागी ने कहा कि घटना पहले से पूर्वनियोजित नहीं थी एवं सिर्फ मृतक मंगल सिंह एवं उसकी पत्नी कलावती (PW-19) ने चाय की दुकान से अपने घर की तरफ लौटते हुए गिरधारी को बिजली की चोरी करने के सम्बन्ध में प्रश्न किया जिसके परिणामस्वरूप मौखिक झगड़ा हुआ एवं इसी प्रकार, पूरी घटना आवेश में आने के कारण हो गयी थी एवं इस प्रकार, उच्च न्यायालय अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि करने में सही नहीं था एवं अभियुक्त का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है।

(9) प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान् अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल श्री के.एम नटराज ने हमारा ध्यान साक्ष्य की तरफ दिलाया है एवं उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बार बार दुहराते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित 34 के अंतर्गत अपीलार्थी सीता राम (A-2) को सही दोषसिद्धि किया है एवं उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

(10) विचार करने का सिर्फ एक यही प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित 34 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार किया जा सकता है या नहीं । जैसा कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विद्वान् अधिवक्ता ने कहा कि घटना पूर्वनियोजित नहीं थी। 2 जुलाई, 1990 को रात 10:00 बजे जब मृतक मंगल सिंह अपनी पत्नी कलावती (PW-19) के साथ अपनी चाय की दुकान बंद करने के बाद अपने घर लौट रहा था, रास्ते में उन्होंने गिरधारी को बिजली के खंभे से बिजली चुराने के सम्बन्ध में प्रश्न किया। इसके कारण पक्षकारों के

बीच मौखिक कहासुनी हो गयी, जिसके दौरान अपीलार्थी सीता राम (A-2), गिरधारी (A-1), रामपाल

(A-3) एवं रामफल (A-4) ने मृतक मंगल सिंह पर हॉकी स्टिक एवं डंडे से हमला किया। इस पर ध्यान दिया गया है कि अभियुक्त के पास पहले से कोई शस्त्र या हथियार नहीं था; यह लगता है कि उन्होंने हॉकी स्टिक एवं डंडे लड़ाई के दौरान उठाये हैं।

(11) भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के लिए निम्नलिखित भाग को होना चाहिए।

(i) अपराध पूर्वनियोजित नहीं होना चाहिए।

(ii) यह अचानक से हुई लड़ाई में आवेश में होने के कारण होना चाहिए।

(iii) अपराधी को अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए।

(iv) अपराधी का जुर्म बहुत क्रूर और असामान्य नहीं होना चाहिए।

(12) जैसा कि पहले विचार विमर्श किया गया कि घटना पूर्वनियोजित नहीं थी एवं पक्षकारों के बीच क्रोध के आवेश में अचानक से लड़ाई शुरू हो गई थी। घटना हुई थी जब मृतक मंगल सिंह अपने वापस घर के रास्ते पर गिरधारी (A-1) को खंभे से बिजली चुराने के विषय में सवाल किया था। अपीलार्थी सीता राम (A-2) एवं अन्य अभियुक्त के पास पहले से शस्त्र नहीं थे। यद्यपि, चोट 1 से 3 जो सिर पर लगी चोटें थी, उनके अलावा मृतक मंगल सिंह के अधिक से अधिक 9 चोटें थी एवं अन्य चोटें सिर, कंधे, बांहों पर थी।

(13) मृतक मंगल सिंह के चोटों पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी सीता राम (A-2) एवं अन्य अभियुक्त ने मृतक मंगल सिंह पर हमला करने में अनुचित लाभ उठाया। मामले के तथ्यों एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, भारतीय दंड

संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी सीता राम (A-2) की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत संशोधित किया जाता है।

(14) परिणामस्वरूप, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित 34 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत संशोधित की जाती है। अपीलार्थी सीता राम को 8 वर्षों का कठोर कारावास की सज़ा दी जाती है। अपील आंशिक रूप से स्वीकृत है।

.....न्यायाधीश (आर. भानुमति)

.....न्यायाधीश (ए.एस. बोपन्ना)

नई दिल्ली,
09 जुलाई, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।